न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– /

1. तोलाराम पुत्र ठाकरसीराम जाति ब्राहम्ण साकिन 21 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. जीयाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट साकिन 22 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. जगदीश पुत्र मूलाराम जाति जाट साकिन 22 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला। ..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) एवं सुखाधिकार अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांक :–

प्रार्थना पत्र का ब्यौरा इस तरह से है कि प्रार्थी तोलाराम के नाम चक 21 केवाईडी के मुरब्बा नंबर 98/53 के किला नंबर 1 से 25 की 25 बीघा भूमि और चक 22 केवाईडी के मुरब्बा नंबर 98/45 के किला नंबर 3,,4,8,,9 2.08 बीघा भूमि दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि मुरब्बा नंबर 98/45 मे स्थित जमीन तक पहुंचने के लिए उसके पास रास्ता नहीं है, प्रार्थी की मांग है कि मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 24,25 में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाए ताकि वह किला नंबर 98/45 में स्थित अपनी जमीन तक पहुंच सके।

इस संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई व 3 फरवरी को मौका मुआयना किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट और मौका मुआयना से यह तथ्य सामने आया है की मुरब्बा नंबर 98/53 की उत्तरी सीमा के साथ साथ मुरब्बा नंबर 98/52 के किला नंबर 21 से 25 में एक कटान शुद रास्ता चलायमान है जो मुरब्बा नंबर 98/44 की दक्षिणी पूर्वी और 98/45 की उत्तरी पूर्वी सीमा पर आकर समाप्त होता है। वर्तमान में प्रार्थी कटान शुदा रास्ते के जरिए मुरब्बा नंबर 98/45 की उत्तरी पूर्वी सीमा तक पहुंच सकता है। उसके बाद मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने से खाले को पार करता हुआ मुरब्बा नंबर 98/45 के किला नंबर 5 में प्रवेश करता है जो कि मीनाक्षी के नाम दर्ज है। वर्तमान में इस किला नंबर 5 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ रास्ता चल रहा है जिसका इस्तेमाल कर प्रार्थी इस मुरब्बा नंबर के किला नंबर 4 में पहुंचता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 16:46:36 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तथ्यों का विवेचन किया गया। [illegible] की बहस भी सुनी गई न्यायालय का मत है कि मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर [illegible] और 25 में से रास्ता दिया जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि प्रार्थी वर्तमान में जिस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है वही रास्ता उसके खेत तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त है। उसे इसी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र [illegible] करना चाहिए।

अप्रार्थी गण प्रार्थी को मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर 16*16 फीट का रास्ता देने के लिए तैयार है जिससे वह मुरब्बा नंबर 98/45

में प्रवेश कर सकें लेकिन प्रार्थी इस पर सहमत नहीं है। प्रार्थी किला नंबर 24,25 में रास्ता चाहता है।

यहां एक और बिंदु भी विचारणीय है कि मुरब्बा नंबर 98/53 ,जो कि प्रार्थी की खातिरदारी में दर्ज है, मुरब्बा नंबर 98/45 की पश्चिमी सीमा के साथ चिपका हुआ है। मुरब्बा नंबर 98/53 तक पहुंच के लिए कटान रास्ता उपलब्ध है। मुरब्बा नंबर 98/53 के किला नंबर 1 और मुरब्बा नंबर 98/45 के किला नंबर 4 के मध्य केवल मुरब्बा नंबर 98/45 का किला नंबर 5 पड़ता है। वर्तमान में प्रार्थी इसी किला नंबर 5 में से होकर किला नंबर 4 तक पहुंच रहा है। उचित तो यही है कि प्रार्थी इसी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र पेश करें।

मौका स्थिति से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर 16*16 फीट जगह की भी जरूरत नहीं है।

इन सब तथ्यों पर गौर करने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 16:46:36 IST
Reason: SelfAttested